

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -115/2025

अनवान :

1. गुरसेवकसिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 जीजीआर तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम्

1.रणजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 जीजीआर तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2.गुरप्रीत कौर पत्नी गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 जीजीआर तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3.अजायब सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 जीजीआर
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4.गुरनाम् सिंह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 जीजीआर तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

5.मांगीलाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

6.विमला पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

7.जसवन्तसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

8.हरबंशसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

9.तहसीलदार राजस्व टिब्बी।



प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :-वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिंह :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक...27.1.25

(Handwritten signature)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम
निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की

छ.प्रतिवादी सं० 7 जसवंतसिंह, प्रतिवादीसं० 8 हरवंशसिंह ब०हि०ब०-चकनं० 8 एस.एल. डबल्यू के प०न० 206/305 मु० 15 किलानं० 7/.008 है०, 8/.007 है०, 9/.008 है० प्रत्येक उत्तरी दिशा

ज.चकनं० 8 एस.एल.डबल्यू के प०न० 207/305 मु० 16 किलानं० 21/.015, प०न० 207/306 मु० 30 किलानं० 1/1/.015, 10/.015 पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम कर चकनं० 5 जीजीआर के खाता सं० 45/47 में से गुरसेवकसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 150/159 में से रणजीत सिंह का हिस्सा कम, चकनं० 7 जीजीआर के खाता सं० 6/6 में से रणजीत सिंह का हिस्सा कम, चकनं० 7 जीजीआर के खातासं० 15/14 में से गुरनामसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 5 जी.जी.आर के खातासं० 42/45 में से गुरप्रीत कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/6/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड (सहायक) (R.A.S)
पदेन जलंधर जिला अधिकारी (राजस्व)
एवं सहसचिव कलक्टर
टिब्बी